



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236046
CG-DL-E-27052022-236046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2266]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2022/ज्येष्ठ 5, 1944

No. 2266]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2022/JYAISTHA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

का.आ. 2387(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मैसर्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पि. आई. एल) का सिलवासा स्पर पाइपलाइन द्वारा गांव: झरोली, तालुका: उमरगाम, जिल्ला: वलसाड, में टाप ऑफ पॉइंट से यू. टी. का दादरा & नगर हवेली गांव: खरडपादा, सिलवासा में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर. आई. एल) का सिलवासा मैनुफैक्चरिंग डिविजन तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का पाइपलाइनों के लिए, उप समाहर्ता, जमीन संपादन विभाग, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा - 396230, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

तालुका : दादरा एवं नगर हवेली	जिला : दादरा एवं नगर हवेली	राज्य : केंद्र शासित प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे सं०/सब डिविजन सं०	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5
1 नरोली	206/1पि2	00	00	33
	206/2पि	00	00	51
	211/1पि2	00	00	26
	211/1पि1	00	00	24
	211/2पि1	00	00	10
	नरोली – भीलोसा रास्ता	00	00	16
	204/पि1(प्लॉट 14/3 और प्लॉट 14/4) (रास्ता)	00	00	47
	203/3/पि 2(रास्ता)	00	00	87
	203/4/पि 2 (नेहर)	00	01	31
	203/4/पि1/पि (ने है स्पी रै कोर्प ली)	00	00	10
	202/पि प्लॉट नं 8 पि1(ने है स्पी रै कोर्प ली)	00	00	25
	202/पि प्लॉट नं 8 पि1(नेहर)	00	00	63
	रास्ता	00	00	10
	202/2/2पि (नेहर)	00	02	54
	नरोली – भीलोसा रास्ता साथै	00	08	10
	183/पि 2	00	02	94
	नेहर	00	01	25
	नरोली – भीलोसा रास्ता से शिवला	00	00	10
	182/2	00	13	92
	181/1/1	00	15	13
	181/1/3	00	17	07
	181/2	00	00	28
	181/3	00	01	77
	180/पि 1	00	00	28
	नरोली से अंकलाश रास्ता	00	02	86
2 कनाडी	नरोली से अंकलाश रास्ता	00	02	49
	22/रो	00	20	00
	नाला	00	00	10
	11	00	20	00

[फा.सं. एल.-14014/180/2021-जी.पी.-II(ई-40693)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2022

S.O. 2387(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through M/s Pipeline Infrastructure Limited's (PIL) Silvassa Spur Pipeline from Tap off point in Vill: Zaroli, Taluka:Umargam, Dist: Valsad, Gujarat to M/s. Reliance Industries Limited's (RIL) Silvassa Manufacturing Division in Vill: Kharadpada, Silvassa, U.T. of Dadra & Nagar Haveli Pipeline should be laid;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the said pipeline under the land to Competent Authority for Pipeline Infrastructure Limited's pipelines, Deputy Collector, Department of Land Acquisition, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli, Silvassa- 396230.

Taluka: Dadra and Nagar Haveli		District : Dadra and Nagar Haveli		State: Union Territory	
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU			
		Hec	Are	Sq.m.	
1	2	3	4	5	
1) Naroli	206/1P2	00	00	33	
	206/2P	00	00	51	
	211/1P2	00	00	26	
	211/1P1	00	00	24	
	211/2P1	00	00	10	
	Naroli – Bhilosa Road	00	00	16	
	204/P1 (Plot 14/3 & Plot 14/4) (Road)	00	00	47	
	203/3/P2 (Road)	00	00	87	
	203/4/P2 (canal)	00	01	31	
	203/4/P1/P (NHSRCL)	00	00	10	
	202/P Plot No.8 P1 (NHSRCL)	00	00	25	
	202/P Plot No.8 P1 (canal)	00	00	63	
	Road	00	00	10	
	202/2/2P (CANAL)	00	02	54	
	Naroli - Bhilosa Along Road	00	08	10	
	183/P2	00	02	94	
	Canal	00	01	25	
	Naroli- Bhilosa Road To Shivla	00	00	10	
	182/2	00	13	92	
	181/1/1	00	15	13	
	181/1/3	00	17	07	
	181/2	00	00	28	
	181/3	00	01	77	
	180/P1	00	00	28	
2) Kanadi	Naroli to Anklash Road	00	02	86	
	Naroli to Anklash Road	00	02	49	
	22/RO	00	20	00	
	Nala	00	00	10	
	11	00	20	00	

[F. No. L-14014/180/2021-GP-II (E-40693)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.